18-12-17

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4-1-18 ...को पेश हो।

4-1-18

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष हाजिर पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 31-1-18 ...को पेश हो।

31-1-18

पत्रावली पेश हुयी। वकील पक्षकारान उपस्थित है। पक्षकारान के उपस्थित होकर राजीनामा के द्वारा निस्तारण करने हेतु पारिवारिक बटवारानामा पेश कर डायरी के निर्णय कर बटवारा प्रस्ताव मंगवाने हेतु निवेदन किया है।
पत्रावली का अवलोकन किया गया।
पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रस्तुत वाद में मुख्य रूप से बटवारा का अनुतोष चाहा गया है। ग्राम तारपुरा तहसील सीकर की भूमी ख०न० 184, 808, 814, 1404 कुल किता 5 कुल रकबा 5.05 हेक्टर सम्वत 2070-2073 की जमाबन्दी के अनुसार अंकित हिस्से बटवारा चाहते है।

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

दावान किशन सिंह बनाम रामवतार

मुकदमा नं. 31/2016

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के प्रावधानों के अनुसार रिकॉर्डेड खातेदार या उनके वारिसान अपने हिस्से के अनुसार बंटवारा करवाने के हक व अधिकारी है अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर प्राथमिक डिक्री निम्न शर्तों के अनुसार जारी की जाती है।

(1) यदि पक्षकारान ने कदमी बंटवारा कर अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्तकार चले आ रहे है तो उसी के अनुसार प्रस्ताव भिजवाये।

(2) पक्षकारान की आपसी सहमति से बंटवारे के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावे।

(3) यदि उपरोक्त बिंदु सं. 1 एवं 2 द्वारा पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना संभव नहीं हो तो उपरोक्त वर्णित आराजी का पक्षकारान के बीच अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा कर प्रस्ताव तैयार कर बंटवारा नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित बंटवारा दर्शाते हुए खसरा नंबर डालकर प्रस्ताव भिजवाने तथा पक्षकारान को नोटिस देकर सुनवाई हेतु इस न्यायालय में नियत दिनांक 14-2-18 को उपस्थित आने हेतु पाबंद कर एक प्रति प्रस्ताव के साथ भिजवावे। उपरोक्तानुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो। वादीगण मौका कमिश्नर की फीस 1000 रुपये अदा करेंगे। पारिवारिक बंटवारानामा प्राथमिक निर्णय का भाग रहेगा। पत्रावली बइंतजार बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 14-2-18 को पेश हो। प्राथमिक डिक्री को ही निर्णय पढ़ा जावे।

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

मु०नं० 31/2016 दावा

अपवादी - किशन सहाय V/S रामावतार

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

15-2-18

पत्रावली पेश हुयी। वकील पक्षकारान उपस्थित हुये। तहसीलदार सीकर के पत्राक भू०अ० 2018/534 दिनांक 15-2-18 के द्वारा बटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो शामील मीसल किया गया है। वादीगण उपस्थित हुये। जिन्होंने तहसील सीकर द्वारा प्रस्तावीत रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय किये जाने हेतु निवेदन किया है। इनकी बहस्थान इनके वकील Adv मोहन लाल पोपरी ने किए। तथा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर उनके Ad महेश मिश्रा ने उनके पुत्र की उपस्थिति मे तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार किये जाने हेतु निवेदन किया है। आपत्ती नही बतायी है।

चुंकी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अनुसार खातेदार अपनी भूमी का बंटवारा कराने का अधिकारी है

अत: ग्राम तारपुरा की भूमि ख०नं० 184 रकबा 1.54 हैक्टर ख०न० 808 रकबा 0.07 हैक्टर ख०न० 814 रकबा 0.17 हैक्टर ख०न० 1504 रकबा 3.27 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 5.05 हैक्टर का बटवारा तहसीलदार (भू०अ०) सीकर के पत्राक भू०अ०/2018/534 दिनांक 15-2-18 के अनुसार किया जाता है। इसी अनुसार अन्तीम निर्णय किया जाता है। अन्तिम निर्णय के अनुसार पर्चा डिक्री जारी किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार सीकर तहरीर जारी किया जावे। तहसीलदार सीकर से प्राप्त पत्राक भू०अ०/2018/534 दिनांक 15-2-18 निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा।

पत्रावली कायल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तजवीज तकमील दाखील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15-2-18 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया है।

(हस्ताक्षर)

सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर

हाशिये पर टिप्पणियाँ:

प्रार्थी की ओर से तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर अन्तिम निर्णय व डिक्री करने निवेदन

हस्ता० किशन सहाय

प्रतिवादी मोहनलाल

[illegible] प्रतिवादी 1 के पुत्र [illegible] आदेश [illegible] PDA [illegible]